Date 08.10.2025 time 01.30 pm period 4

Section 23

Section 23 BNS — English

Title:
Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will

Text / What it Provides:

"Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, is, by reason of intoxication, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong, or contrary to law; provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will." Prashant Kanha+2

Section 34,35,36

धारा 34: निजी रक्षा में किए गए कृत्य

- **प्रावधान:** "जो कुछ भी निजी रक्षा (private defence) के प्रयोग में किया जाए, वह अपराध नहीं होगा।" JK Law+1
- **मतलब:** यदि कोई व्यक्ति अपने या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के लिए वैध निजी रक्षा करता है, तो वह कृत्य अपराध नहीं होगा (अगर वह कानूनी परिस्थितियों के अंतर्गत हो)।
- **सीमाएँ:** यह धारा यह नहीं बताती कि निजी रक्षा के लिए कौन सी स्थितियाँ हों या कितनी रक्षा जायज़ हो — ये बातें धारा 35-44 में मिलेंगी। JK Law+1

धारा 35: शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार

- **प्रावधान:** हर व्यक्ति को, धारा 37 में बताये गए प्रतिबंधों के अधीन, यह अधिकार है कि वह रक्षा कर सके —
  (a) अपने अपने शरीर की, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की, उन अपराधों के विरुद्ध जो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं;
  (b) अपनी या किसी अन्य की सम्पत्ति (चल या अचल) की रक्षा उन कृत्यों के विरुद्ध जो चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अतिचार (criminal trespass) से संबंधित हैं, या उनकी कोशिश हो।
  JurisQuest+1
- **मतलब / कैसे चलेगी:** यदि कोई आप पर हमले की नीयत से हो, या आपकी संपत्ति को चोरी या नुकसान पहुँचाने का प्रयास हो, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा की मात्रा और तरीका "औचित्य में" होना चाहिए। Aap Tax Law+1
- **सीमाएँ:** धारा 37 के तहत प्रतिबंध हैं — जैसे कि अत्यधिक बल नहीं इस्तेमाल किया जाए, دافع की स्थिति समाप्त होते ही रुक जाना चाहिए, इत्यादि। JK Law

---

धारा 36: मानसिक स्थिति या अन्य कारणों से निर्णय-क्षमताहीन व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध निजी रक्षा का अधिकार

- **प्रावधान:** यदि कोई कृत्य सामान्यतः अपराध होगा, लेकिन वो कृत्य व्यक्ति ने किया हो — इन कारणों से: बाल्य-काल, समझ की परिपक्वता का अभाव, मानसिक अस्थिरता, नशे की स्थिति, या किसी भ्रांति (misconception) के प्रभाव में — तो भी उस कृत्य के विरुद्ध दूसरे को उतना ही निजी रक्षा का अधिकार होगा जैसे कि वह कृत्य अपराध ही हो। JurisQuest+1

- **उदाहरण:**
  • Z, जो मानसिक स्थिति में है, A पर जानलेवा हमला करता है; Z अपराधी नहीं माना जायेगा, लेकिन A को Z से उतनी ही रक्षा करने का अधिकार है जैसे Z होश में हो। JurisQuest+1
  • कोई व्यक्ति रात में घर में प्रवेश करता है, और Z उसे चोर समझ कर हमला करता है क्योंकि उसे भ्रांति है — Z के कृत्य में अपराध नहीं होगा, लेकिन घुसपैठिये के विरुद्ध निजी रक्षा का अधिकार है। JurisQuest+1

Section 37

IN धारा 37 BNS — हिन्दी सारांश

शीर्षक: निजी रक्षा का अधिकार नहीं होगा उन मामलों में जहाँ यह धारा लागू हो

क्लॉज़ / मुख्य प्रावधान:

1. **धारा 37(1):** निजी रक्षा नहीं होगी:

(a) उस कृत्य के खिलाफ जो **मौत या गंभीर चोट की आशंका** ठीक-ठाक रूप से उत्पन्न नहीं करता है, यदि वह कृत्य सार्वजनिक सेवक (public servant) ने अपने कार्यालय के छुपे रंग (colour of office) के अंतर्गत, सदाचारपूर्वक (good faith) किया हो। भले ही वह कृत्य कानूनी रूप से पूरी तरह सही न हो। Prashant Kanha+2Vidhi Adda+2

(b) उस कृत्य के खिलाफ जो **मौत या गंभीर चोट की आशंका** उत्पन्न नहीं करता है, यदि वह सार्वजनिक सेवक के निर्देशन (direction) पर किया गया हो, जब वह निदेशन (direction) सार्वजनिक सेवक द्वारा अपने कार्यालय के रंग में, सदाचारपूर्वक हो, भले ही निदेशन कानूनी रूप से पूरी तरह सही न हो। Prashant Kanha+2Vidhi Adda+2

(c) उन मामलों में जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरणों (public authorities / पुलिस आदि) की सहायता लेने का समय हो। यानी आप तुरंत कार्रवाई करने के बजाय कानूनी रस्ता अपना सकते हों। Vidhi Adda+2Prashant Kanha+2

2. **धारा 37(2):** निजी रक्षा का अधिकार कभी भी इस सीमा से बाहर नहीं होगा कि रक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान पहुँचाया जाए। यानी उस स्थिति में जितना नुकसान बचाव के उद्देश्य से ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। Prashant Kanha+2JK Law+2

3. **व्याख्याएँ (Explanations):**
   - **व्याख्या 1:** यदि आप नहीं जानते कि कृत्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक सेवक है, या यह विश्वास रखने कारण हो, तो आप निजी रक्षा का अधिकार खोते नहीं। JK Law+1
   - **व्याख्या 2:** यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सेवक के निर्देशन पर हो, तो निजी रक्षा का अधिकार नहीं होगा *जब तक* आपको पता न हो कि वह सार्वजनिक सेवक ने निर्देशन दिया है; या जब आप उससे उसकी कानूनी प्राधिकरण दिखाने को कहें तो वह दिखाए। Prashant Kanha+1

⚖️ प्रायोगिक उदाहरण / उपयोग:

- यदि पुलिस अधिकारी आपके घर में प्रवेश करता है, और आपको लगता है कि उसने कोई गैर-कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन आपकी स्थिति से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका नहीं है, तो धारा 37 कहती है कि आप निजी रक्षा नहीं कर सकते।
- अगर आप जानते हों कि वह अधिकारी अपनी क्षमता में काम कर रहा है; या आपसे पूछे जाने पर उसने अपनी पहचान नहीं दी हो, तब भी निजी रक्षा सीमित हो सकती है।
- यदि आप असमर्थ हैं लेकिन समय है पुलिस/प्राधिकारियों को बुलाने का — तो तुरंत निजी रक्षा करना कानूनी नहीं किया जाएगा।

Case darshan singh vs state of Punjab 2010

Here's a clear and exam-ready **summary of *Darshan Singh vs State of Punjab (2010)*** — including **facts, issues, judgment, and key principles** — in both **English and Hindi** for your LLB preparation:

⚖️ Darshan Singh v. State of Punjab (2010) 2 SCC 333

🔹 **Bench:**

Justice Dalveer Bhandari & Justice K.S. Radhakrishnan
(Supreme Court of India, 2010)

📜 Facts:

- The case involved a **clash between two groups of villagers**.
- Darshan Singh, the accused, claimed that he acted in **self-defence (right of private defence)** when he caused injuries to the opposite party.
- The prosecution alleged **murder** and said Darshan Singh **exceeded** the right of private defence.

⚖️ Legal Issue:

Whether the accused (Darshan Singh) had the **right of private defence** under Sections **96–106 IPC** (now Sections **34–38 BNS, 2023**), and if yes,
👉 did he **exceed** that right?

📜 Judgment:

- The Supreme Court **acquitted** Darshan Singh, holding that he had **acted in genuine self-defence**.
- The Court clarified and restated the **law on private defence** in India.

🧠 **Key Principles Laid Down:**

1. **Right of private defence is a very valuable right**, recognized by law to protect oneself and others.
2. It is **not necessary to run away** to avoid injury; one may stand one's ground and defend.
3. The **force used must be proportionate** — not excessive — to repel the threat.
4. **Burden of proof:**
    - The accused need not prove his defence beyond doubt;
    - He only needs to show a **reasonable possibility** of self-defence.
5. **Timing of threat:**
    - The right begins **when apprehension of danger arises**, and
    - Ends **when the danger ceases**.
6. Even if the accused **inflicts fatal injury**, the act can be justified if it was necessary for defence.

⚖️ **Held:**

Darshan Singh was **entitled to the right of private defence** and **did not exceed** it.
Hence, his conviction was set aside.

📚 **Important for Exam:**

This case is often cited with:
➡️ *Sikandar Singh v. State of Bihar (2010)* and
➡️ *State of U.P. v. Ram Swarup (1974)* — for the scope of private defence.

🇮🇳 हिन्दी सारांश

🏛️ **मामला:**

दरशन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010)

🔹 **तथ्य:**

- गाँव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ।
- दरशन सिंह पर हत्या का आरोप लगा।
- उसने कहा कि उसने केवल **निजी रक्षा के अधिकार** में कार्य किया।

⚖️ **प्रश्न:**

क्या दरशन सिंह को **निजी रक्षा का अधिकार** प्राप्त था?
यदि हाँ, तो क्या उसने उस अधिकार की **सीमा लाँघ दी**?

📜 **निर्णय:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दरशन सिंह ने **अपने बचाव में** कार्य किया।
- वह **अत्यधिक बल प्रयोग नहीं** कर रहा था।
- इसलिए उसे **निजी रक्षा का अधिकार प्राप्त था**, और दोषमुक्त किया गया।

💡 **मुख्य सिद्धांत:**

1. **निजी रक्षा एक वैध और मूल्यवान अधिकार है।**
   व्यक्ति स्वयं या दूसरों की रक्षा कर सकता है।
2. व्यक्ति को **भागने की आवश्यकता नहीं**, वह वहीं रहकर रक्षा कर सकता है।
3. **बल का प्रयोग केवल आवश्यक सीमा तक** ही होना चाहिए।
4. अभियुक्त को केवल यह दिखाना होता है कि
   उसका कार्य **संभावित रूप से रक्षा के लिए आवश्यक** था।
5. यह अधिकार तभी तक रहता है **जब तक खतरा बना रहता है**।

⚖️ **निर्णय का परिणाम:**

दरशन सिंह ने **सीमा नहीं लाँघी**,
इसलिए उसे **दोषमुक्त (Acquitted)** किया गया।

🧭 **उल्लेखनीय बिंदु (Exam Key Points):**

- Private Defence begins when apprehension arises and ends when danger ceases.
- No duty to retreat.
- Burden on accused = preponderance of probability, not proof beyond doubt.
- Case reaffirmed Sections 96–106 IPC (now BNS 34–38).

***** ***** ******* ******** *** ******* **********